



# भारत का राजपत्र

# The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-19042025-262537  
CG-DL-E-19042025-262537

असाधारण  
EXTRAORDINARY  
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)  
प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1761]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 17, 2025/चैत्र 27, 1947

No. 1761]

NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 17, 2025/CHAITRA 27, 1947

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 अप्रैल, 2025

का.आ. 1794(अ).—केंद्रीय सरकार ने, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) और धारा 3 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नरपुह वन्यजीव अभ्यारण्य, मेघालय के आसपास एक पारिस्थितिकी संवेदी जोन घोषित करने के लिए, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में, संख्या का.आ. 2942(अ), तारीख 6 सितम्बर, 2017 द्वारा एक अधिसूचना जारी की है;

और, केंद्रीय सरकार की यह राय है कि उक्त अधिसूचना का संशोधन करना लोकहित में आवश्यक और समीचीन है;

और, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 का उपनियम (4) यह उपबंध करता है कि जब भी केंद्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि ऐसा करना लोकहित में है, तो वह पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के खंड (क) के अधीन सूचना की अपेक्षा से अभिमुक्ति दे सकती है;

और, केंद्रीय सरकार की यह राय है कि अधिसूचना संख्यांक का.आ. 2942(अ), तारीख 6 सितम्बर, 2017 में संशोधन करने के लिए पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के खंड (क) के अधीन सूचना की अपेक्षा से अभिमुक्ति देना लोकहित में है;

अतः, अब, केंद्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (4) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) और धारा 3 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) में, संख्या का.आ. 2942(अ), तारीख 6 सितम्बर, 2017 द्वारा प्रकाशित, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:—

उक्त अधिसूचना में, पैरा 5 और 6 के स्थान पर, निम्नलिखित पैरा रखे जाएंगे, अर्थात्:—

**“5. मानीटरी समिति—** (1) केंद्रीय सरकार इस अधिसूचना एक निगरानी समिति का गठन करेगी जो निम्नलिखित व्यक्तियों से मिलकर बनेगी, अर्थात्:

(i)	उपायुक्त, पूर्वी जंतिया हिल्स, जोवाई	अध्यक्ष, पदेन;
(ii)	प्रत्येक तीन वर्ष के बाद मेघालय सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट प्रतिष्ठित संस्थान या विश्वविद्यालय से पारिस्थितिकी और पर्यावरण या जैव विविधता का एक विशेषज्ञ	सदस्य;
(iii)	विरासत संरक्षण सहित पर्यावरण या वन्य जीवन के क्षेत्र में काम करने वाले गैर-सरकारी संगठन का एक प्रतिनिधि, जिसे मेघालय सरकार द्वारा प्रत्येक तीन वर्ष में नामनिर्दिष्ट किया जाएगा।	सदस्य;
(iv)	कार्यकारी अभियंता, मेघालय राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड	सदस्य, पदेन;
(v)	राज्य जैव विविधता बोर्ड के सदस्य-सचिव या सदस्य	सदस्य, पदेन;
(vi)	प्रधान मुख्य वन संरक्षक या वन बल प्रमुख	सदस्य, पदेन;
(vii)	प्रभागीय वन अधिकारी (वन्यजीव)	सदस्य-सचिव, पदेन;

**6. मानीटरी समिति के कार्य.—** (1) मानीटरी समिति, वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं के आधार पर भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं0 1533(अ), तारीख 14 सितंबर 2006 की अनुसूची में सम्मिलित क्रियाकलापों और इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन सारणी में यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के सिवाय, आने वाले और उस अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पूर्व पर्यावरण निकासी के लिए, यथास्थिति, केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय या राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण को निर्दिष्ट क्रियाकलापों की संवीक्षा करेगी।

(2) इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन सारणी में यथा विनिर्दिष्ट क्रियाकलापों के सिवाय, उपपैरा (1) में निर्दिष्ट अधिसूचना की अनुसूची के अधीन ऐसे क्रियाकलापों, जिन्हें सम्मिलित नहीं किया गया है और जो पारिस्थितिक संवेदी जोन में आते हैं, की वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित मानीटरी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उसे संबद्ध विनियामक प्राधिकरणों को निर्दिष्ट किया जाएगा।

(3) मानीटरी समिति का सदस्य-सचिव या संबद्ध कलेक्टर या संबद्ध उप वन संरक्षक, ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध, जो इस अधिसूचना के किसी उपबंध का उल्लंघन करता है, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 19 के अधीन परिवाद फाइल करने के लिए सक्षम होगा।

(4) मानीटरी समिति, प्रत्येक मामले के आधार पर अपेक्षाओं पर निर्भर रहते हुए, संबद्ध विभागों के प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों, औद्योगिक संगमों या संबद्ध पण्धारियों के प्रतिनिधियों को, अपने विचार-विमर्श में सहायता के लिए, आमंत्रित कर सकेगी ।

(5) मानीटरी समिति, प्रत्येक वर्ष की 31 मार्च तक की अवधि की अपने क्रियालापों की वार्षिक कार्यवाई रिपोर्ट, इस अधिसूचना के साथ संलग्न उपाबंध-IV में विनिर्दिष्ट प्ररूप में, उस वर्ष की 30 जून तक मुख्य वन्यजीव वार्डन को प्रस्तुत करेगी ।

(6) केंद्रीय सरकार, मानीटरी समिति को उसके कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए, लिखित में ऐसे निदेश दे सकेगी, जो वह उचित समझे ।

[फा. सं. 25/156/2015-ईएसजेड-आरई]

डॉ. एस. केरकेटा, वैज्ञानिक 'जी'

**टिप्पणी—** मूल अधिसूचना, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग- II, खंड 3, उपखंड (ii) में का.आ. 2942(अ), तारीख 6 सितम्बर, 2017 द्वारा प्रकाशित की गई थी ।

## MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

### NOTIFICATION

New Delhi, the 17th April, 2025

**S.O. 1794(E).— WHEREAS**, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, issued a notification to declare an Eco-sensitive Zone around the Narpuh Wildlife Sanctuary, Meghalaya in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* S.O. 2942 (E), dated the 6<sup>th</sup> September, 2017;

**AND WHEREAS**, the Central Government is of the opinion that it is necessary and expedient in the public interest to amend the said notification;

**AND WHEREAS**, sub-rule (4) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986 provides that whenever it appears to the Central Government that it is in the public interest to do so, it may dispense with the requirement of notice under clause (a) of sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986;

**AND WHEREAS**, the Central Government is of the opinion that it is in the public interest to dispense with the requirement of notice under clause (a) of sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986 for amending the notification number S.O. 2942(E), dated the 6<sup>th</sup> September, 2017;

**NOW THEREFORE**, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (4) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Environment and Forest and Climate Change, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* S.O. 2942(E), dated the 6<sup>th</sup> September, 2017 namely:-

In the said notification, for paragraphs 5 and 6, the following paragraphs shall be substituted, namely: -

“5. **Monitoring Committee.** — The Central Government here by constitute a Monitoring Committee consisting of the following persons, namely: -

(i)	The Deputy Commissioner, East Jantia Hills, Jowai	Chairman, <i>ex officio</i> ;
(ii)	One expert in ecology and environment or Biodiversity from reputed institution or university to be nominated by the Government of Meghalaya after every three years	Member;
(iii)	One representative of a non-governmental organisation working in the field of environment or wildlife including heritage conservation to be nominated by the Government of Meghalaya after every three years	Member;
(iv)	Executive Engineer, Meghalaya State Pollution Control Board	Member, <i>ex officio</i> ;
(v)	Member-Secretary or Member of the State Biodiversity Board	Member, <i>ex officio</i> ;
(vi)	Principal Chief Conservator of Forest or Head of Forest Force	Member, <i>ex officio</i> ;
(vii)	Divisional Forest Officer (Wildlife)	Member- Secretary, <i>ex officio</i> .

6. **Functions of Monitoring Committee.** — (1) The Monitoring Committee shall, based on the actual site-specific conditions, scrutinise the activities covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests, *vide* S.O. 1533 (E), dated the 14<sup>th</sup> September, 2006 and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change or the State Environment Impact Assessment Authority, as the case may be, for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.

(2) The activities not covered in the Schedule to the notification referred to in sub-paragraph (1) and falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned regulatory authorities.

(3) The Member-Secretary of the Monitoring Committee or the Collector or the Deputy Conservator of Forests shall be competent to file complaint under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986 against any person who contravenes the provisions of this notification.

(4) The Monitoring Committee may invite representative or expert from Department, representative from industry associations or stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on case to case basis.

(5) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities for the period up to the 31<sup>st</sup> March of every year by the 30<sup>th</sup> June of that year to the Chief Wildlife Warden in proforma specified in Annexure-IV.

(6) The Central Government may give such directions in writing, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.”.

[F. No. 25/156/2015-ESZ]

Dr. S. KERKETTA, Scientist “G”

**Note.-** The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* number S.O. 2942(E), dated the 6<sup>th</sup> September, 2017.